ISSN 2581-9917

महिला पुलिस - अधिकार व चुनौतियाँ

चंदा यादव*

'जब हम महिलाओं और बालिकाओं में निवेश करते हैं, तो वास्तविकता में हम उन लोगों में निवेश कर रहे होते हैं जो बाकी सभी क्षेत्रों में निवेश करते हैं'।

'मेलिंडा गेट्स' का यह कथन प्रत्येक क्षेत्र में न केवल महिलाओं के महत्त्व को रेखांकित करता है, बल्कि उनकी प्रासंगिकता का भी निर्धारण करता है। साथ ही यदि हम संपूर्ण वैश्विक इतिहास पर गौर करें तो जाहिर होता है कि कैसे समाज व राष्ट्र में महिलाओं की केन्द्रीय भूमिका ने राष्ट्रों की संवेदनशीलता, स्थिरता, प्रगति और दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित किया है। मौजूदा समय में ऐसा कोई भी क्षेत्र विशेष नहीं है जहाँ महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज न कराई हो, परिवार की जिम्मेदारियों से लेकर अंतरिक्ष की उड़ानों तक प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी खास जगह बनाई व अपने कार्य व अनुभव से राष्ट्र को गौरवान्वित किया।

पुरुष प्रधान माने जाने वाले पुलिस बल में भी महिलाओं की भूमिका हमेशा ही सकारात्मक व सराहनीय रही है। भारतीय पुलिस बल में महिलाओं ने अपनी भूमिका के माध्यम से कई सूक्ष्म बदलाव किए हैं, परन्तु आज भी पुलिस व्यवस्था में नारी सशक्तिकरण की भारी कमी देखी जा सकती है।

* शोधार्थी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।

आज 21वीं सदी में जहाँ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर एक बेहतर मानसिक स्थिति वाले समान समाज की बात करते हैं, इसी समाज में जब बात महिलाओं व उनके अधिकारों की आती है तो हमें ठहर कर सोचना पड़ता है कि क्या हैं उनके अधिकार। साथ ही जो अधिकार उनको प्राप्त है भी, क्या उनका वह पूर्ण प्रयोग करने में सक्षम है, क्या समाज का हर वर्ग उनको अपने समान समझता है? क्यों हम एक महिला पुलिस ऑफिसर को पहले महिला के रूप में देखकर सारे तर्क देकर फिर उसे ऑफिसर समझते हैं। पुलिस व्यवस्था में ही यह कई बार सुना जाता है कि यदि महिलाएँ अधिक मात्रा में यहाँ रहेंगी तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा, क्यों इस समाज की मानसिक स्थिति ऐसी है कि एक पुरुष पुलिस ऑफिसर पूरे समाज की सुरक्षा कर सकता है परन्तु एक समान महिला पुलिस ऑफिसर को पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है। जबकि महिला व पुरुष समान रूप से समाज के मूल आधार स्तम्भ हैं।

''भारत सरकार बनाम लेफ्टिनेंट कमांडर एनी नागराज और अन्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि लैंगिक समानता की लड़ाई मानसिकता की लड़ाई है।''

मानसिक व शारीरिक दुर्बलता का हवाला देकर महिलाओं की भागीदारी को रोकने की कोशिश हमारी मानसिक दुर्बलता की परिचायक है। पुलिस विभाग में महिलाओं का अल्प प्रतिनिधित्व इस तथ्य को उजागर करता है कि अभी भी उन्हें 'वे' बनाम 'हम' के रूप में पहचान दी जाती है। महिलाओं की तैनाती का निर्णय आज भी पूर्ण रूप से लैंगिक रूढ़िवादिता से मुक्त नहीं है, जो महिलाओं के जीवन में बाधा बनकर उभरते हैं और अग्रणी भूमिका निभाने से रोकते हैं। पुलिस विभाग में महिलाओं से जुड़े कुछ मामलों को देखें जैसे-

- उत्तरप्रदेश के जिला बुलन्दशहर में एक महिला कांस्टेबल ने अपने ही विभाग के एक पुरुष सब-इंस्पेक्टर संदीप चौहान पर बलात्कार का आरोप लगाया।
- उत्तरप्रदेश के ही लखनऊ शहर की एक महिला कांस्टेबल ने अपने सीनियर ऑफिसर द्वारा परेशान किए जाने का खुलासा एक विडियो के माध्यम से किया और वह महिला कांस्टेबल यह कहते हुए नजर आयी कि मैं पुलिस में हूँ, जब मैं अपनी ही मदद करने में असमर्थ हूँ तो मैं कैसे बाकी समाज की महिलाओं को यह विश्वास दिलाऊँ कि मेरी जैसी महिला पुलिस उनकी मदद करने में समर्थ होगी, जब यहाँ मेरा ही शोषण हो रहा है।
- कोल्हापुर, महाराष्ट्र, अप्रैल 2011, 11 महिला कांस्टेबलों ने आरोप लगाया कि पुलिस के प्रशिक्षकों ने उनका यौन शोषण किया, जब वे कोल्हापुर के पुलिस प्रशिक्षण में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थीं।
- दिल्ली, सितम्बर, 2016, 24 महिला पुलिसकर्मियों ने कार्यस्थल पर एक इंस्पेक्टर पर शोषण का आरोप लगाया, लेकिन एफ.आई.आर. (**FIR**) दर्ज करने के 4 महीनें बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई और इनको मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। इस पर कार्यवाही तब हुई जब मामला सार्वजनिक हुआ।
- भोपाल, नवम्बर, 2017, एक महिला पुलिस कांस्टेबल ने पुलिस अधिक्षक (**ASP**) पर पिछले तीन महीनों से शोषण, मारपीट व अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया।

मुख्यरूप से इन चुनौतियों के साथ ही पुलिस व्यवस्था में महिलाओं के समक्ष कुछ और चुनौतियाँ व समस्याएँ भी मौजूद होती हैं, जैसे- महिला पुलिसकर्मियों के लिए अलग शौचालयों की व्यवस्था न होना जो कि एक महत्त्वपूर्ण आधारभूत आवश्यकता है। महिलाओं के लिए पृथक आरामगृह की कमी, महिलाओं के लिए अलग आवास और अन्य सुविधाओं एवं बच्चों की देखभाल की उचित व्यवस्था का अभाव तथा महिलाओं को शारीरिक रूप से कम दुष्कर या डेस्क ड्यूटी के कार्य स्थानांतरित करना अथवा केवल महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर कार्यवाही के लिए पुलिस कार्य देकर उन्हें दरकिनार करने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। साथ ही यह देखा जा सकता है कि महिला पुलिसकर्मियों को मुख्यरूप से महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए नियुक्त किया जाता है। यानी महिला कैदियों से संलग्न दायित्वों के लिए नियुक्त करने की अवधारणा भी इनके हितों के विरुद्ध काम करती है क्योंकि यह उन्हें मुख्य पुलिस कार्यों से अलग करती है तथा महिलाओं की तैनाती के निर्णयों में लैंगिक रूढ़िवाद देखा जा सकता है जो महिलाओं को अग्रणी भूमिका निभाने से रोकते हैं। यह पूर्वाग्रह केवल पुरुष सहकर्मियों तक ही सीमित नहीं

है अपितु कभी-कभी वरिष्ठ महिला अधिकारी भी उन्हें कम इच्छुक और कम कठोर मानती हैं।

वर्तमान आकड़ों से पता चलता है कि पुलिस में ज्यादातर महिलाएँ निचले पायदान पर कार्यरत हैं जो प्रमुख कार्यकारी पदों पर महिलाओं की कमी को दर्शाता है। जहाँ देश की आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी 48 प्रतिशत है, वहीं देश के पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 10 प्रतिशत ही है तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रति महिला पुलिसकर्मी पर महिलाओं की आबादी का अनुपात 3026 है जो बहुत ही कम है। जबकि कुछ परिस्थितियों में पुरुषों की तुलना में महिलाएँ अधिक प्रभावी होती हैं।

- 2013 में गृहमंत्रालय ने पुलिस व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का लक्ष्य रखा और सुझाव दिया कि हर पुलिस स्टेशन में कम से कम 3 सब इंस्पेक्टर और 10 महिला पुलिस कांस्टेबल होनी चाहिए।
- 2016 में **IUCAW (Investigative Units for Crime against Women)** का गठन किया गया जिसमें 200 यूनिट के गठन की बात की गई तथा प्रत्येक यूनिट में 15 पुलिस ऑफिसर होंगे जिसमें 5 महिला पुलिस को शामिल करना अनिवार्य था।

इतने सकारात्मक कार्यों के बाद भी आज पुलिस व्यवस्था में महिलाओं की संख्या में कुछ अधिक वृद्धि देखने को नहीं मिलती है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जब महिला पुलिस अधिकारियों को भी उसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है जो उनके पुरुष समकक्षों को दी जाती है तो महिलाएँ किस आधार पर पुरुषों से भिन्न हैं और यदि कुछ आधारों पर समाज उन्हें समान समझता है तो क्या महिलाओं को वो सारे हक व अधिकर सही मायनों में प्रदान किए जा रहे हैं, जिसके वो योग्य हैं, अभी भी किसी काबिलियत या पद से पहले लैंगिकता (**Gender**) क्यों आती है।

एक पुरुष को जब ऑफिसर का पद मिलता है उसके पश्चात् जीवनपर्यत्न उसे ऑफिसर के रूप में जाना व माना जाता है जबकि एक महिला अधिकारी तब तक ही ऑफिसर के रूप में सम्मानित की जाती है जब तक वह वर्दी में होती है, उसके बाद वह अपनी सामाजिक व जैविक जिम्मेदारियों के साथ सिर्फ एक महिला रह जाती है। इस समाज को यह बात समझने में न जाने और कितना समय लगेगा कि हर महिला अंदर से एक योद्धा है। समाज को लैंगिक रूप से विभाजित करने वाले इन प्रतिगामी विचारों को सामाजिक जागरूकता के माध्यम से रोकने के साथ ही अनुकूल माहौल बनाने और परिवर्तनकारी बदलाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि महिलाओं की जरूरतों व सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके।

पुलिस व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से निम्न सुधार हो सकते हैं-

- महिला पुलिस की भर्ती से पुलिस स्टेशन की व्यवस्था व व्यवहार सकारात्मक व बेहतर होंगे, नहीं तो उनमें धीरे-धीरे सुधार करके बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा।
- महिलाएँ प्राकृतिक रूप से ही व्यवहार में संवेदनशील होती हैं। इस गुण से वह कई तरह के विशेष मामलों को सुलझाने में ज्यादा मददगार साबित हो सकती हैं।
- बच्चे, बुजुर्ग व महिलाओं के मामलों में महिला पुलिस ज्यादा कारगर साबित हो सकती हैं।
- पुलिस में अलग से बने महिला बटालियन, महिला पुलिस स्टेशन आदि में बदलाव की जरूरत है।
- महिलाओं को उनकी शारीरिक शक्ति के आधार पर नकारने की जगह, उनकी मानसिक स्थिति के आधार पर समान मानने की आवश्कता है।

पुलिसव्यवस्था में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में वृद्धि निःसंदेह पुलिस सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है तथा भारत में बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था का सपना महिला पुलिस कर्मियों के बिना एक कोरी कल्पना है।

□□□□